

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /मो./न./ईई-ए.से./व-ध/2007-8/271 भोपाल, दिनांक 17 जून, 2008

प्रति,


1. समस्त जिला कलेक्टर
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र
5. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

विषय— 1 जुलाई, 2008 को पूरे प्रदेश में शिक्षा महोत्सव के रूप में आयोजन
बाबत।

== X ==

01 जुलाई 2008 को प्रदेश में आयोजित किये जाने वाले शिक्षा महोत्सव के विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न हैं। समस्त जिला कलेक्टरों से निवेदन है कि राज्य शासन के इस उच्च प्राथमिकता वाले आयोजन को प्रत्येक जिले में वृहत रूप में कार्ययोजना बनायी जाकर विद्यालयों को 01 जुलाई से प्रारंभ किया जावे। जिला कलेक्टर कृपया की गयी कार्यवाही से अवगत भी करावें।

संलग्न: दिशा निर्देश



(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्र०/मो. /न. /ईई-स. वे. /व-५/२००७-०८/२७२ भोपाल, दिनांक १७जून; २००८.

प्रतिलिपि :-

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्री अनुराग जैन, सचिव, मुख्यमंत्रीजी।
2. निज सचिव, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी।
3. निज सचिव, माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्रीजी।
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास.
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास.
7. आयुक्त, जनसंपर्क।
8. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र।
9. आयुक्त, लोक शिक्षण।
10. संचालक, लोक शिक्षण।
11. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण।


प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

०१ जुलाई, २००८ को पूरे प्रदेश में शिक्षा महोत्सव के रूप में
आयोजन बाबत दिशा-निर्देश

नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई, 2008 से प्रारंभ हो रहा है। शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने प्रदेश में 21.32 माध्यमिक विद्यालय, 12.35 हाई स्कूल व 20.5 हायर सेकेंड्री स्कूल विगत माहों में स्वीकृत किये गये हैं। इन सभी विद्यालयों को इसी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ किया जाना है। इसके व्यापक स्वरूप को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 01 जुलाई 2008 को पूरे प्रदेश में शिक्षा महोत्सव दिवस के रूप में आयोजित किया जाए। इसके मुख्य पहलू निम्नानुसार रहेंगे:-

1. **विद्यालयों तक सूचना :-**

जिलों में उपरोक्त तीनों स्थानों की प्रशासनिक स्वीकृतियाँ आपको प्राप्त हो गयी होंगी, यदि किसी कारण से आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं तो इसके आदेश तत्काल बुलाये जावें और संबंधित विद्यालय स्तर तक आदेश पहुँचा दिये जावें।

2. **विद्यालय बाबत सूचना :-**

उपरोक्त सभी नवीन माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंड्री स्कूल के तहत आने वाली शालाओं तथा संबंधित ग्रामों में खोले जाने वाली शालाओं के बारे में समुचित प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि 1 जुलाई को नयी प्रारंभ की जा रही शालाओं में उन ग्रामों के बच्चे विद्यालयों में प्रवेश पा सकें।

3. **स्थान व्यवस्था :-**

नव प्रोन्नत विद्यालयों में सबसे पहली व्यवस्था हाई स्कूल तथा हायर सेकेंड्री स्कूल में नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों के बैठने हेतु की जाना होगी। इस बाबत निम्न विकल्पों पर विचार किया जा सकता है:-

(क) वर्तमान भवन में यदि स्थान उपलब्ध हो और वह कक्ष शिक्षण हेतु उपयोग में नहीं आ रहा हो तो उस स्थान को उपयोग में लाया जावे।

(ख) जहाँ वर्तमान भवन में व्यवस्था नहीं हो सकती है वहाँ निकट में स्थित अन्य भवन के विकल्प को तलाशा जाए। इसमें सर्वप्रथम शासकीय भवन के विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। यह उपलब्ध न होने की स्थिति में किराये के भवन में व्यवस्था की जाए। इस हेतु आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए व आवश्यक जाँच-पड़ताल पश्चात प्रदाय की जा सकेगी।

4. शिक्षण व्यवस्था :-

राज्य शासन द्वारा संविदा शिक्षकों की भर्ती अगस्त-सितंबर माह तक की जा सकेगी अतः इन प्रोन्नत की गयी शालाओं में शिक्षकों की तत्काल व्यवस्था अस्थाई तौर पर समीप की शालाओं के शिक्षकों से अध्यापन कराया जाए।

5. प्रचार-प्रसार :-

01 जुलाई के कार्यक्रम को आसपास के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना है। इस हेतु निम्न विकल्पों का उपयोग किया जावे:-

- (क) पंचायतों को लेखी में सूचना दी जावे कि वे अपने-अपने क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर प्रचार-प्रसार करवा दें।
- (ख) प्रोन्नत की गयी शालाओं के केचमेंट की शालाओं के ऐसे बच्चे जिनके द्वारा इस वर्ष 5वीं, 8वीं व 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की गयी है, के पालकों को प्रोन्नत की जा रही शालाओं की सूचना दी जाए।
- (ग) इस महोत्सव के संबंध में व्यापक जानकारी हेतु बेनर, पोस्टर, हार्डिंग आदि को समुचित रूप में निश्चित कर प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग किया जा सकता है। यह कार्य मुख्यतः जनसंपर्क विभाग/म0प्र0 माध्यम के द्वारा किया जाएगा। 01 जुलाई को जनसंपर्क विभाग आवश्यक विज्ञापन जारी करेगा।

6. 01 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम :-

01 जुलाई को पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में मुख्य बातें निम्न हैं :-


- (क) इसमें स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे माननीय सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण, त्रि-स्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना है।
- (ख) प्रत्येक जिले में अलग-अलग स्थान-वार विस्तृत रूपरेखा का निर्धारण जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीगण के परामर्श से जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।
- (ग) स्थानीय समाचार पत्रों में कार्यक्रम के आयोजन से एक दिन पहले, कार्यक्रम के दिन तथा कार्यक्रम के एक दिन पश्चात स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में इस कार्यक्रम को व अभियान की जानकारियों को व्यापक रूप में प्रेस नोट के माध्यम से प्रचारित किया जावे। इसमें स्थानीय जनसंपर्क कार्यालय व उनके पूरे अमले फोटोग्राफर, सूचना सहायकों आदि का उपयोग किया जावे।

उक्त कार्यक्रम प्रदेश के शिक्षा विभाग/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा खोले जा रहे/प्रोन्नत किये जा रहे सम्स्त विद्यालयों बाबत किया जाना है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भी इस बाबत प्रथक से अपने विकास खण्ड/जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित कर रहा है।

7. विद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण :-

सभी प्रोन्नत की गयी शालाओं के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत भवन बाबत मंजूरी दी जाकर प्रथम किशत आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी की जा चुकी है/की जा रही है। इस अनुसार भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए।

इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देकर समय सीमा में किया जाना है।


(मदन/मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग